न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकार : श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या : 09/2022

प्रार्थी

1. मानाराम पुत्र करनाराम जाति जाट उम्र 60 साल, निवासी– मेघवालों का तला (शौभाला जैतमाल) तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पेहलाद पुत्र आसु उम्र 40 वर्ष
2. खेमा पुत्र आसु उम्र 35 वर्ष
3. लुम्बा पुत्र आसु उम्र 32 वर्ष
4. लाधू पत्नी आसु उम्र 55 वर्ष
5. चुना पुत्र जगमाल उम्र 67 वर्ष
6. तेजाराम पुत्र करनाराम उम्र ....वर्ष
7. रामाराम पुत्र अचलाराम उम्र 65 वर्ष
8. खेराज पुत्र अचला उम्र 60 वर्ष
9. मानाराम पुत्र करना उम्र 60 वर्ष
10. खेमाराम पुत्र पुरखा उम्र 50 वर्ष
11. चुना पुत्र पुरखा उम्र 67 वर्ष
12. पेमा पुत्र पुरखा उम्र 60 वर्ष
13. हरखाराम पुत्र राऊराम उम्र 67 वर्ष
14. देवाराम पुत्र तेजाराम उम्र 47 वर्ष
15. नोजी देवी पत्नी तेजाराम उम्र 60 वर्ष
16. रूखमणाराम पुत्र तेजाराम उम्र 40 वर्ष
17. चुतरा पुत्र जेठा उम्र 56 वर्ष
18. आम्बा पुत्र जेठा उम्र 47 वर्ष
19. दमा पुत्र जेठा उम्र 43 वर्ष
20. रूखमणा पुत्र जेठा उम्र 40 वर्ष
21. पुरखाराम पुत्र नरसिंगाराम उम्र 45 वर्ष
22. रूखमणराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 43वर्ष
23. मेहराराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 39 वर्ष
24. बाबुराम पुत्र पेमाराम उम्र 45 वर्ष
25. अमेदराम पुत्र पेमाराम उम्र 30 वर्ष
26. खेताराम पुत्र पेमाराम उम्र 28 वर्ष
27. चनणाराम पुत्र पेमाराम उम्र 25 वर्ष
28. चम्पा पत्नी धीरा उम्र 60 वर्ष
29. कुंभाराम पुत्र धीरा उम्र 30 वर्ष
30. अचला पुत्र धीरा उम्र 28 वर्ष
31. हेमाराम पुत्र मलाराम उम्र 75 वर्ष

सभी जातियान जाट, निवासी मेघवालों [illegible] माल, तहसील धोरीमन्न [illegible] मेर।

32. तहसीलदार [illegible] मन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व [illegible] 1956

तारी[illegible]जू : 18/01/2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री गंगाराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 ता 8

06/12/22
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06/12/22

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत की भूमि खसरा नम्बर 419/4 व 444/419 रकबा 6.6369 हैक्टेयर मौजा मेघवालों का तला पटवार क्षेत्र शौभाला जैतमाल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में आई हुई है। जिस पर प्राथ्री का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश हैं प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई हैं प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिहृन नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में बरसात के समय एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार लेते वक्त खेतों के सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण हर समय प्रार्थी के खेत के सेढ़े को आगे पीछे करते रहते हैं तथा मना करने पर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश कर अधिक भूमि पर काश्त कर लेते हैं तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर समय पर काश्त नहीं करने देते हैं जिससे प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती है। प्रार्थी विप्रार्थीगण से हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, जिस हेतु यह आवेदन पेश है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए कई बार हल्का पटवारी व हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया, परन्तु हल्का पटवारी एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक ने विवाद अधिक होने के कारण नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उलब्ध करने एवं नेखमबंदी की नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 419/4 व 444/419 रकबा 6.6369 हैक्टेयर मौजा मेघवालों का तला पटवार क्षेत्र. शौभाला जैतमाल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क 2/– का साथ पेश है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा 419/4 व 444/419 रकबा 6.6369 हैक्टेयर मौजा मेघवालों का तला पटवार क्षेत्र शौभाला जैतमाल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश करवों एवं आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद हेतु पुलिस थाना चौहटन को आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 ता 31 को भेजे गए रजि. नोटिसों की डाक रसीदें पेश की। अप्रार्थी सं. 01 ता 31 बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7 व [illegible] से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश करने पर इनके विरुद्ध की [illegible] एक[illegible]य कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया गया तथा इनके जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 419/4 एवं 444/419 मौजा मेघवालों का तला, पटवार क्षे[illegible]शौभाला जैतमाल की एकतरफा नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन मनगढ़ंत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य वक्त सेटलमेंट की माटें व कणे आदि बने हुए हैं तथा वर्षों पुराने पेड़–पौधे लगे हुए हैं जिस कारण सेढ़े–माठों को आगे–पीछे करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा मौके पर ऑवरलेपिंग का मामला है तथा प्रार्थी विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
6/12/22

हड़… चाहता है। विप्रार्थी सं. 7 व 8 द्वारा कभी भी प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया तथा विप्रार्थी सं. 7 व 8 अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है तथा इनके कब्जे काश्त की भूमि के चारों तरफ वक्त सेटलमेंट से कदीमी माठें व सेढ़े अवस्थित है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पेमाईश नहीं करवाई गई है तथा बिना पेमाईश करवाए ही नेखमबंदी का आवेदन पेश किया गया है जो आवेदन विधि–विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की पद संख्या 1 एवं 6 में खसरा सं. 419/4 एवं 444/419 के नेखमबंदी हेतु निवेदन किया है लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ केवल खसरा सं. 419/4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्रस्तुत की है, प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 444/419 के संबंध में प्रार्थना पत्र में केवल कथन किए हैं लेकिन इसके संबंध में किसी प्रकार का राजस्व दस्तावेज यथा जमाबंदी/नक्शा ट्रेस उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। साथ ही हमने पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट का अध्ययन किया, उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी के मौके पर सीमाज्ञान के विवाद की वजह से सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 7 व 8 तथा सीमाज्ञान की मौका फर्द के समग्र अध्ययन से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा सं. 419/4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर बारानी सोयम की हद तक प्रार्थी के प्रार्थना को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा–मेघवालों का तला, पटवार हल्का–शौभाला जैतमाल, तहसील–धोरीमन्ना के खसरा सं. 419/4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा सं. 419/4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

06.12.22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06/12/2022 **को बर-ए-ईजलास सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

06.12.22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर